7/3/23

साहब ... अन्य कार्यालय में
खाबड़ी दिनांक 21/7/23
को पेश हो।

अंगूठा

21/7/23

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी अपने प्रार्थना-पत्र पर बहस करना नहीं चाहते हैं। उन्होंने अपने प्रार्थना-पत्र को हुए खर्चे पर खारिज करने का निवेदन किया। आदेशिका पर प्रार्थी के हस्ताक्षर कराये गये। विपक्षी वकील प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाई गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र पर 12 बजे वकील प्रार्थी के आग्रह पर हुए खर्चे पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ती किया जावे। मूलवाद के साथ संलग्न है। शुभम

Atul Singh

उपखण्ड अधिकारी
(अलवर) राज०